पत्रांक /   /आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 03 /14–15/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून ::15अक्टूबर, 2014

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 908/2014/22(110)/xxvii(8)/2008/दिनांक देहरादून 09 अक्टूबर 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) नियमावली 2014 के संबध में अवगत कराया गया है ।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 3183 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
4– सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमांऊ जोन रूद्रपुर।
6– एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
7– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**
8– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
9– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2014/ 22(110)/XXVII(8)/ 2008
दिनांक:: देहरादन :: [illegible] 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 की धारा 16 के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1904)(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर नियमावली, 2009 में अग्रेतर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर(संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ — 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर(संशोधन) नियमावली, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

नियम 8 का जोड़ा जाना — 2. "मूल नियमावली" के नियम 7 के बाद निम्नलिखित एक नया नियम 8 जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्–

(8) कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से, इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, यह प्राविधानित किया जाता है कि क्रेता द्वारा विक्रेता से सत्यापित कराकर 'फार्म–'जी' (जिसे कमिश्नर द्वारा, शासन को सूचित करते हुए निर्धारित किया जा सकता है) में घोषणा पत्र, कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान का अस्थाई प्रमाण माना जा सकेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा घोषणा पत्र प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए 4 प्रतियों में बनाया जाएगा और कर निर्धारण प्राधिकारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे घोषणा पत्र की एक प्रति क्रेता द्वारा एवं एक प्रति विक्रेता द्वारा रखी जाएगी। क्रेता का कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे घोषणा पत्र की एक प्रति अपने अभिलेख पर सुरक्षित रखेगा और दूसरी प्रति विक्रेता के कर निर्धारण प्राधिकारी को सत्यापन के लिए प्रेषित करेगा। यदि घोषणा पत्र की ऐसी प्रति सत्यापित हो जाती है तो प्रस्तुत किए गए घोषणा पत्र को अधिनियम के अन्तर्गत देय कर का प्रमाण मान लिया जाएगा;

प्रतिबन्ध यह और है कि इस नियम के प्राविधान केवल नॉन–लेवी चीनी के लिए कर निर्धारण वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के लिए लागू होंगे।

6414
13-10-14

(भास्करानन्द)
सचिव।

संo 908 /2014/ 22(110) /XXVII(8)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

(भास्करानन्द)
सचिव।

pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No 908/ 2014/ 22 (110)/ XXVII(8)/08 dated 9 OCTOBER 2014 for general information.

Government of Uttarakhand
Vitta Anubhag-8
No.908 /2014/ 22 (110)/XXVII(8)/ 08
Dehradun : Dated: 9 OCTOBER, 2014

Notification

In exercise of the powers conferred by section 16 of The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008 read with Section 21 of The Uttar Pradesh general clause Act, 1904(Act no. 1 of 1904)(as applicable to the State of Uttarakhand) with a view to further amend The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 2009 as follows :-

The Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Rules, 2014

Short title and commencement	**1.**	**(1)** These rules may be called the Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas(Amendment) Rules, 2014. **(2)** They shall come into force with immediate effect.
Addition of a new Rule 8	**2.**	After rule 7 of the "Principal Rules", the following new rule 8 shall be added; namely-

(8) With objective to remove difficulties, notwithstanding anything contained in these Rules, it is hereby provided that a declaration in form-'G'(which may be prescribed by the Commissioner under intimation to the Govt.) submitted to the Assessing Authority by the purchaser after getting it verified from the seller, **may** be treated as **provisional** proof of payment of tax due under the Act;

Provided that such declaration is prepared separately for each assessment year in quadruplicate and submitted to the Assessing Authority in duplicate. One copy of such certificate shall be retained by the purchaser and one by the seller. The Assessing Authority of the purchaser shall preserve one copy of such certificate on the record and send the other copy to the Assessing Authority of the seller for verification. In case where the copy of such declaration is verified, the declaration submitted shall be treated as proof of payment of tax due under the Act;

Provided further that the provisions of this rule shall be applicable for Non-Levy Sugar and for the assessment years 2009-10, 2010-11, 2011-12 and 2012-13 only.

(Bhaskaranand)
Secretary.